KOLHAN UNIVERSITY
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
JHARKHAND. PIN: 833 202

Date: 16-06-2026

Ref No : KU/R/918/2026

To
The Principal/Principal-in-Charge,
of all Constituent Colleges under KU, Chaibasa,

Sub : Regarding set of instructions in the matter related to admission into UG programmes session 2026-30

Madam/Sir,

With reference to the above mentioned subject and in the light of the resolutions taken in the 43rd emergent meeting of the Academic Council held on 26.05.26 with the Principal/Principal-in-Charge of all Constituent Colleges and as per resolutions taken in the 44th meeting of the Academic Council held on 03.06.26, please find below the following sets of instructions for admission into UG programmes :

1. Information about the various academic disciplines as per H & TE Dept. Sankalp No.- 898 dt.- dt.- 29.04.26 and as per resolutions taken in the 43rd emergent meeting of the Academic Council held on 26.05.26 with the Principal/Principal-in-Charge of all Constituent Colleges, should be disseminated among the students through website, newspapers and social media on frequent basis.
2. Whatsapp group should be used for dissemination of information.
3. Posters displaying the comprehensive note should be put up at places frequently visited by students.
4. Students applying for admission into UG Programmes must obtain in advance documents like Caste Certificate, Domicile Certificate, Migration Certificate, School Leaving Certificate and other documents to be able to submit the same at the time of admission.
5. Students may opt for more than one subject in the same or different Colleges inorder to enhance the probability of admission in their chosen subject/college. **The admission fee has been fixed at Rs. 25.00 per subject per college.**
6. In case of non-availability of seats in one subject, students may opt for other subject available in the college or any other college of their choice.
7. No application will be entertained after the last date for admission.

Sd/-
Registrar
Kolhan University, Chaibasa

Encl : Instructions/Guidelines to students

Memo No. KU/R/918/26

Dt. 16-06-2026

Copy to :

I. Deans of all Faculties and Heads of all P.G. Depts. KU
II. All Officers of KU, Chaibasa
III. P.A. to Vice-Chancellor for information to Hon'ble Vice-Chancellor

Ranjeet 16/6/26

(Dr. Ranjeet Kumar Karn)
Registrar
Kolhan University, Chaibasa

KOLHAN UNIVERSITY
CHAIBASA

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) सत्र 2026-2030
मार्गदर्शन हेतु छात्रों के लिए आवश्यक सुझाव एंव निर्देश

कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) सत्र 2026-2030 में नामांकन के लिए इच्छुक छात्र–छात्राओं के लिए नामांकन के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है–

<u>नामांकन हेतु आवेदन प्रक्रिया:–</u>

1. समस्त नामांकन प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।

2. सर्वप्रथम विद्यार्थी चांसलर पोर्टल पर अपना ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर का प्रयोग करते हुए Account Create करेंगें तथा अपना Login ID and Password बना लेंगें।

3. चांसलर पोर्टल पर विद्यार्थी अपने Account से किसी एक कॉलेज में एक से अधिक विषय अथवा भिन्न–भिन्न कॉलेजों में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रति विषय ऑनलाईन आवेदन शुल्क रू0 25/– है।

<u>विषय एवं कॉलेज चयन करने के संबंध में:–</u>

4. वर्तमान सत्र से सभी महाविद्यालयों में विषयवार सीट का निर्धारण किया गया है। NEP-2020 के अनुसार विद्यार्थियों के पास अपने पसंद के अनुसार एक से अधिक विषय पढ़ने का विकल्प उपलब्ध है। अतः विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी कॉलेज में अपने पसंद के विषय के साथ–साथ अन्य विषयों में भी ऑनलाईन आवेदन अवश्य करें। इससे सीमित सीटों के कारण यदि किसी विद्यार्थी को अपने पसंद के विषय में नामांकन संभव नहीं हो पाता है तो आपके पास अन्य विषयों में भी नामांकन के अवसर/विकल्प रहेंगें और कोई भी विद्यार्थी नामांकन लेने से वंचित न रहेगा।

5. कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रत्येक विषय में सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया है। महाविद्यालयों में विषयवार सीटों की संख्या को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

<u>आरक्षित श्रेणी में नामांकन हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र:–</u>

6. प्रायः देखा गया है कि आरक्षित कोटी (SC/ST/BC I/BC II/EWS) के विद्यार्थियों के पास ऑनलाईन नामांकन आवेदन भरते समय जाति/आवासीय/आय प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहते हैं

लेकिन चांसलर पोर्टल पर ऑनलाईन फॉर्म में आरक्षित श्रेणी (SC/ST/BC I/BC II/EWS) के विकल्प को भर देते हैं और मेरीट लिस्ट में नाम आने के बाद प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण नामांकन से वंचित रह जाते हैं।

इन समस्याओं से बचने के लिए विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि वे आरक्षित श्रेणी के तहत नामांकन लेना चाहते हैं तो नामांकन लेने से पूर्व ही झारखण्ड सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति/आवासीय/आय प्रमाणपत्र बनवाकर अवश्य रख लें ताकि आरक्षित श्रेणी में आपको नामांकन की निर्धारित समय सीमा के अंदर अवसर मिल सकें।

7. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि चांसलर पोर्टल पर केवल सही सूचना भरें। कागजातों के सत्यापन के समय (Document Verification) यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों के नामांकन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

8. NEP-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों को APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) and ABC ID (Academic Bank of Credit) बनाना आवश्यक है। APAAR ID and ABC ID नम्बर ऑनलाईन आवेदन अथवा रजिस्ट्रेशन के समय भरना पड़ता है। अतः विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि Digi locker के माध्यम APAAR ID and ABC ID (www.abc.gov.in) नामांकन के पूर्व अवश्य बनवाकर रख लें।

9. नामांकन के लिए मेरीट लिस्ट संबंधित कॉलेज के वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

10. Document Verification में जिन विद्यार्थियों के Documents सही पाये जाऐंगे केवल उन्हीं विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क जमा कराया जाएगा। महाविद्यालय नामांकन प्रभारी के समक्ष निम्नलिखित Documents प्रस्तुत करना होगा–

    1. 10th Marksheet
    2. 10+2 / Intermediate Marksheet and Admit Card
    3. Transfer Certificate or School/College Leaving Certificate
    4. Caste/Domicile/Income Certificate (for SC/ST/BC I/BC II)
    5. EWS Certificate (students claim against EWS Category)
    6. Sprots/PwD/NCC or other Certificate (if claim)
    7. APAAR and ABC ID

Reject 16/6/21

कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।